

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-4) विभाग

क्रमांक :- प.19 (5) सा.प्र./गुप-4/11

जयपुर, दिनांक 19/10/11

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:- पंचम एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित पंचम एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 2.50 लाख (अक्षरे रूपये दो लाख पाचस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	आवासी का नाम व आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1.	जी-685, गांधीनगर, जयपुर	1. टॉयलेट नवीनीकरण 2. मेट टाइल फ्लोरिंग	0.20 0.27	0.47
2.	5/49, गांधीनगर, जयपुर	1. किचन नवीनीकरण 2. बाथ नवीनीकरण 3. पी/एफ फिक्सिंग एसी शीट शेड 4. रेजिंग ऑफ कम्पाउण्ड वाल	0.15 0.15 0.11 0.07	0.48
3.	जी-941, गांधीनगर	1. किचन नवीनीकरण 2. टॉयलेट नवीनीकरण 3. जाली गेट	0.15 0.20 0.05	0.40
4.	जी-786, गांधीनगर, जयपुर	1. रफ कोटा स्टोन फ्लोरिंग 2. मेट टाइल फ्लोरिंग 3. रिप्लसेमेंट ऑफ एसी शीट	0.15 0.27 0.05	0.47
5.	जी-836, गांधीनगर, जयपुर	1. रफ कोटा फ्लोरिंग 2. सीसी फ्लोरिंग 3. जाली डोर	0.20 0.09 0.04	0.33
6.	जी-683, गांधीनगर, जयपुर	1. सेक्शन विण्डो 2. टाइल फ्लोरिंग 3. फ्लश डोर शटर्स	0.03 0.27 0.05	0.35
कुल योग			2.50	

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800- अन्य व्यय (01) निर्माण [05] पंचम एवं छठवीं श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

Sd/

उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर ।
4. अधिषाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर ।
5. अधिषाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-III, जयपुर ।
6. संबंधित आवासी ।
7. रक्षित पत्रावली ।

Sd/
उप शासन सचिव (क)